IV 81/2018 (1)

न्यास-पत्र

हम कि राजेश यादव पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह यादव, एकावस पट्टी, भितरी सैदपुर, जिला गाजीपुर उ0प्र0 का निवासी हूँ। हम मुकिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहा हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति आपसी सद्भाव व सदाचार शिक्षा स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगार को उनकी योग्यता के अनुरुप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने मे लिंग भेद, जाति-पाति, छुआ-छूत, धर्म एवं सम्प्रदाय, ऊंच-नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थानों एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/संस्थान की स्थापना की गयी है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बाबत 10001(दस हजार एक रुपया) का न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बाबत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है। जिसकी स्थापना निम्न रुपेण की जायेगी।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "विमला शंकर संस्थान" एकावसपट्टी भितरी सैदपुर, जिला गाजीपुर उ0प्र0 आगे "न्यास" अथवा "संस्थान" शब्द से सम्बोधित

Rajesh Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
16 OCT 2018
गाजीपुर

AA 498739

किया गया है। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारु रुप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। पूर्व में हम मुकिर के पूर्वजों द्वारा जो संस्थाएं स्थापित कर उनका पंजीयन कराया गया है और जिनका विवरण इस न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों में दिया गया है भी हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास / संस्थान के अधीन जानी व समझी जायेंगी। यह की हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक एवं मुख्य संस्थापी होंगे तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन एवं व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यासी के रुप में कार्य करने को सहमत हैं व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियो को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 03 से कम तथा 07 से अधिक नही होगी। भविष्य में हम द्वारा न्यास की उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य न्यासीयो की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रुप से न्यास <u>मण्डल / संस्थान</u> मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रुप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नवत हैं-

1. मुख्य न्यासी- श्री राजेश यादव पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह यादव, मु0 एकावसपट्टी, भितरी, सैदपुर, जिला गाजीपुर, उ0प्र0।
2. न्यासी- श्री सहेन्द्र यादव पुत्र स्व0 श्री रघुनाथ यादव, ग्राम दुबैथ, पोस्ट जेवल, जिला-गाजीपुर उ0प्र0।
3. न्यासी- राहुल यादव पुत्र श्री कैलाश यादव, ग्राम खौंदा, पोस्ट रसूलपुर पचरासी, जिला-गाजीपुर उ0 प्र0।
4. न्यासी- मनोज यादव पुत्र श्री चन्द्रिका यादव, ग्राम मनसुखवा, पोस्ट भितरी, सैदपुर, जिला-गाजीपुर उ0प्र0।
5. न्यासी- प्राञ्जल यादव पुत्र श्री राजेश यादव, मु0 एकावसपट्टी, भितरी, सैदपुर, जिला-गाजीपुर उ0प्र0।

Rajesh yadav

(3)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 069958

वरिष्ठ कोषाधिकारी
16 OCT 2018
गाजीपुर

यह कि हम मुकिर द्वारा "विमला शंकर संस्थान" के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
3. नव युवक, नव युवतियों एवं छात्र-छात्राओं को रचनात्मक शिक्षा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जू०हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमिडिएट, मदरसा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों एवं नर्सिंग कालेज, फार्मेसी कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, पालिटेक्निक कालेज, शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/कालेजों टैक्निकल कालेजों विश्वविद्यालयों की स्थापना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान के जिज्ञासुओं एवं प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलाजी के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध कराना।
5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरुक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. न्यास द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित करायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

Rajesh yadav

(4)

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
★★★ 16 OCT 2018 ★★★
गाजीपुर

EL 069989

7. लिंग-भेद, जाति-पाति, छुआ-छूत, धर्म व सम्प्रदाय, ऊंच-नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरुकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
8. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा एवं गैर तकनीकी, शिक्षा/तकनीकी, शिक्षा/विधि, शिक्षा/शिक्षण-प्रशिक्षण/मदरसा, विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित करना।
9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड-केयर सभी प्रकार के विद्यालय महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान एवं आवास का निर्माण करना।
10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-मेडिकल, इंजिनियरिंग, पालिटेक्निक, बैंक, पी०सी०एस०, आई०ए०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पालिटेक्निक इंजिनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन कालेज शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/कालेजों आदि खोलना एवं उनका संचालन करना।
11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई पेन्टिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मकेनिकल, रेडियो एवं टी०वी०, ट्रेनिंग, आई०टी०आई०, टाईपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जैसे-केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

Rajesh Kumar

(5)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 069990

वरिष्ठ कोषाधिकारी
16 OCT 2018
गाजीपुर

खाद्य प्रसंस्करण जैसे- जैम, जैली, मुरब्बा, आचार केचप आदि का प्रशिक्षण देना ।

15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे- हैण्डी क्राफ्ट, सास्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
16. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग देना संस्था का उद्देश्य है।
17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को कियान्वित करना जैसे- गुंगे, बहरे, अंधे, अपंग एवं मानसिक रुप से कमजोर बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
18. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन पढ़ने-लिखने व उन्हे खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतंत्रता हो।
19. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।
20. सामुदायिक विकास कार्यकम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बरात घर, धर्मशाला, सुलभ-शौचालय, चिकित्साघर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल, पुस्तकों एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
21. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना वृक्षारोपण औषधियों एवं जड़ी बुटियों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।
22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को प्राप्त करना एवं संस्था के विकास हेतु कार्य करना।

Rajesh Yadav

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 067991

वरिष्ठ कोषाधिकारी

★★★ 16 OCT 2018 ★★★

गाजीपुर

23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना बेचना उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना, मार्गेज करना या मकान बनवाना बेचना आदि।

25. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें जैसे- यूनिसेफ, आई०सी०डी०एस०, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

26. घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा इनसे सम्बन्धित बिमारियों की जानकारी रोकथाम टीकाकरण के लिए युवाओ को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।

27. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान, मसाला, गांजा, भांग, स्मैक, एल०सी०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वालों को उनसे होने वाली बीमारीयों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

28. समाज की व्याप्त बुराइयों जैसे- अन्धविश्वास, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति-पाति एवं छुआ-छूत की भावना एवं नैतिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता / प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण / यौन प्रताड़ना युवतियों का खरीद फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

Rajesh ...

(7)

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
16 OCT 2018
गाजीपुर

सामूहिक भोज को बढ़ावा देना- विभिन्न त्यौहारों जैसे- होली, दीपावली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे- शादी, गवना, सालगिरह, जन्मदिन, पर होने वाले भोजन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

विभिन्न प्रकार के खेल जैसे- योगा, जिम्नास्टिक, जूडो-कराटे, कबड्डी तथा कुश्ती एवं सभी प्रकार के शहरी एवं सभी प्रकार के पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

32. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण जागरूकता/प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।

33. परिवार कल्याण के क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/कीट वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

34. एड्स, कैन्सर, टी०बी०, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाईटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज एवं अन्य चिकित्सकीय पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

35. ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भिखारीयों, झुग्गी-झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों मे रहने वाले व्यक्तियों को आवास भोजन पेयजल स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

36. सरकारी कार्यक्रमों जैसे- डूडा एवं सूडा को संचालित करना।

37. सरकारी की सहायता से गावों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़ंजा, पीच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

38 कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उससे सम्बन्धित बीमारीयों की जानकारी देने अथवा दवा

Rajesh Kumar

(8)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 06997

★★★ 16 OCT 2018 ★★★

गाजीपुर

नवयुवकों के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगातार उन्हें प्रेरित/जागरूक ए प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य पर दिलाना। तिलहन-दलह कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार प्रसार करना तथ स्वैच्छी कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

39. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से हो वाले हानि से लोगों को अवगत करना।

40. बंजर एवं उसर भूमि गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत वातावरणीय संरक्षण जल एवं प्राकृतिक सम्पर के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

41. जल वायु मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियंत्रण/उनसे होने वाली बीमारीयों के बारे युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

42. प्राकृतिक आपदा जैसे-हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घट की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गांव व्यक्तियों एवं पशुओं व सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोग को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूक/प्रशिक्षित करना। इसके लि लोगों/संस्था तथा कम्पनीयों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है इसमें शास एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

43. लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के सा समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण, निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/ गो-वंशी जीवों की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुउ की अवैध हत्या को रोकना तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले व आयोजन करना।

44. तत्काल सुविधा पहुंचाने हेतु/सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमा असहाय, वृद्ध, व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचाने के लिए अथवा एक अस्पताल दुसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की स्थापना करना।

Rajesh Kesari

(9)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

★★★ 16 OCT 2018 ★★★

गाज़ीपुर

EL 069974

45. उन समस्त योजनाओं को कियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों एवं एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलायी जा रहा है।
46. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारें में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगो की कानूनी सहायता की जा सके।
47. गरीब लोगो विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।
48. किसी एन0जी0ओ0द्वारा दिये गये कार्यो को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
49. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य के लिए सर्वे कार्य डाटा कलेक्शन जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य, कैसेट, कठपुतली सामग्री, डाक्युमेन्टरी एवं नुक्कड़-नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता होता है जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।
50. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एन0जी0ओ0, वक्फ, एसोशियेशन न्यास को आर्थिक सहायता देना एवं आर्थिक सहयोग लेना एवं उनके किया-कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।
51. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रो/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल-अचल समपत्ति सम्मिलित हैं।
52. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहयता पहुंचाना।

Rajesh Kumar

(10)

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
★★★ 16 OCT 2018 ★★★
गाजीपुर

EL 069975

54. संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला / प्रदेशों में स्थापित करना।
55. सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।
55. अल्पसंख्यकों दलितो एवं पिछड़ों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
56. मकान / भवन का निर्माण करना एवं उसका क्रय-विक्रय करना तथा भूमि का क्रय-विक्रय करना संस्था के कार्य में शामिल होगा।
57. गरीबों एवं दलितों के सामूहिक विवाह का आयोजन करना एवं उसके लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करना।
58. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करके फल एवं सब्जियो हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना।
59. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करके पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प प्राप्त करना एवं उसका संचालन करना।
60. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करके एल०पी०जी० गैस एजेन्सी / डिस्ट्रीब्युटर / डिलर प्राप्त करना एवं उनका संचालन करना।

न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न ईकाइयों के सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
3. न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।

Rajesh Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 069976

वरिष्ठ कोषाधिकारी
*** 16 OCT 2018 ***
गाजीपुर

4. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध ईकाईयां गठित करना।

न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओ को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

6. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

7. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालक के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था संस्था में निहित करना।

8. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं विद्यालयों शिक्षण केन्द्रों चिकित्सालयों शोध केन्द्रों गौशालों एवं अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारीयों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

9. न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों संस्थाओं सरकारी अर्द्धसरकारी गैरसरकारी विभागों मे दान उपहार अनुदान व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तो को पूर्ण कर स्नातक एवं परास्नातक स्तर शैक्षिक व व्यावसिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी / कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

Rajesh Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
16 OCT 2018
गाजीपुर

EL 0699

न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था-

क- न्यास का गठन एवं संचालन- न्यास का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा

1. न्यास के मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे और न्यास के मुख्य न्यासी को अप जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थिति में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो न्या के शेष न्यासीयों को मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्रों में से योग्य व्यक्ति व बहुमत के आधार पर न्यास का मुख्य न्यासी चयनित करने का अधिकार होगा। परन्तु मुख् न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में का करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।
2. मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वा निर्धारित संस्थानी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
3. न्यास मण्डल के सदस्यों में से न्यासीगण को न्यास की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए न्यास अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्ति कि गये न्यासीयों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के उक्त पदाधिकारीयों का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास पदाधिकारीयों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सकता तो पदाधिकारीयों का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासीयों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. न्यास मण्डल के किसी भी न्यसी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने प उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार का कोई पद रिक्त होने प न्यास मण्डल के पदाधिकारीयों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित न्यासी के विधि उत्तराधिकारीयों में से की जायेगी यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो उन से योग्य एवं न्यासी के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में सम्मिलित किये

Rajeshwar...

(13)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 OCT 2018

गाजीपुर

EL 0699

जाने का प्रस्ताव न्यास मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा। न्यास मण्डल द्वारा प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारी के न्यासी के रूप मे सम्मिलित होने से इन्कार करने की स्थिति मे मृतक न्यासी के वंशावली के दूसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासीयों के रिक्त स्थान की पुर्ति के सम्बन्ध में उक्त रुप में दिये गये उपबन्धों के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों की मृत्यु के उपरान्त लिखित रुप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नही होगा।

5 न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरित आचरण करने की दशा मे न्यास मण्डल द्वारा उन्हे सामान्य बहुमत से न्यास पृथक किया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व मे दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रुप मे संयोजित कर लिया जायेगा यदि कोई हितैशी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नही किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रुप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6 न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी के स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7 न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी संस्था से यदि कोई लेन-देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध मे कोई उत्तरदायित्व नही होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होगा।

Rajesh Kumar

(14)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
★★★ 16 OCT 2018 ★★★
गाजीपुर

EL 069978

अ- न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन-

1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास अधीन संचालित सभी संस्थाओं / समितियों के प्रबन्धक / सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारी भी भाग लेगें। वार्षिक बैठक की सूचना टेलीफोन, मोबाईल या समाचार पत्रों एवं व्यक्तिगत डाक द्वारा उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी एवं विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक एवं विशेष बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

(7.) मुख्य न्यासी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रूप मे कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. न्यास सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशीयों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. न्यास की समस्त कार्यवाही लिखना/लिखवाना व अन्य अभिलेखो को तैयार करना/कराना।
4. न्यास की बैठक को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।
5. न्यास की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट न्यास मण्डल के समक्ष रखना।
6. न्यास की ओर से न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।

Rajesh Kesari

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
★★★ 16 OCT 2018 ★★★
गाजीपुर

EL 0699

7. न्यास द्वारा तथा न्यास के विरुद्ध विधिक कार्यवाहीयों में न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
8. न्यास के विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासीयों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
9. न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
10. न्यास के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अंगिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
11. न्यास के हित सम्बन्धित लेखों का सुचारू रूप से रख-रखाव करना।

(8) **न्यास के कोष की व्यवस्था-**

न्यास के कोष को सुचारू रूप से रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत / मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में न्यास के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें न्यास को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां व ऋण राशियां निहित होंगी। न्यास के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य न्यासी द्वारा अकेले अथवा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(9) **न्यास के अभिलेख-**

न्यास के अभिलेख को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही, समस्त रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

(10) **न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था-**

न्यास की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से तैयार की जायेगी।

क- यह की न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों के वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से ऋण दान, सहायता ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व

Rajesh Gosain

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 069981

★★★ 16 OCT 20..

गाजीपुर

... से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी जिसे उचित समझे अधिकृत करेंगें।

... कि मुख्य न्यासी न्यास की तरफ से स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय विक्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगें।

ग- यह कि न्यास सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधीन संस्थाओं के एवं समितियों के अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

घ- न्यास द्वारा स्थापित / संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास मे निहित रहेगी।

च- न्यास की आय-व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

छ- न्यास द्वारा न्यास के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी न्यास का ओर से मुख्य न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

ज- न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारीयों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी मुख्य न्यासी के अधीन होगा। न्यास

Rajesh ...

23-10-18

स्टाम्प विक्रय तिथि........क्रमांक 9984

स्टाम्प विक्रय का प्रयोजन....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

रामेश्वर सिंह यादव
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं0–29
लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 201
से 31 मार्च 20... तक
तहसील सैदपुर–गाजीपुर

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 41 के पृष्ठ 31 से 64 तक क्रमांक 81 पर दिनाँक 05/11/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह
उप निबंधक : सैदपुर
गाजीपुर
05/11/2018

प्रिंट करें

उप निबन्धक, सैदपुर, जनपद–गाजीपुर • उत्तर प्रदेश •
सत्यमेव जयते